संख्या-18/2016/716/84-1-2016-14बामा/2011

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव]
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 06 अक्टूबर, 2016

विषय- वेतन समिति, 2008 के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-127/निविमावि-अधि-2/आ0सं0/16 दिनॉक 10.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-11/2015/218/84-1-24बामा(बजट)/2010 दिनांक 24.03.2015 द्वारा विधिक माप विज्ञान विभाग में नवसृजित मण्डलों में आशुलिपिक के 06 पदों का सृजन किया गया है। उक्त सृजित पदों के फलस्वरूप वेतन समिति, 2008 के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1046/84-1-11-14बामा/2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया संवर्गीय पुर्नगठन पुन: उक्त 06 पदों के सृजन के फलस्वरूप पदों को भरे जाने की प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 के तहत किया जाना है।

2- अत: वेतन समिति, 2008 के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के क्रम में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 के आशुलिपिक संवर्ग में इस शासनादेश के साथ अनुलग्नक-1 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ-3 व 4 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-5 में इंगित पदों की संख्य को अनुलग्नक-2 के स्तम्भ-2 के अनुसार पदनाम स्तम्भ-3 व 4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्तम्भ-5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ-6 के अनुसार पदों को भरे जाने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

3- उपयुर्क्त संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 की अशासकीय सं0-वे0आ0-2-2245/दस-2016 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2016/716(1)/84-1-16-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-18/2016/716/84-1-2016-14बामा/2011 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक।

अनुलग्नक-1

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आशुपिलिक	रू0 5200-20200	2800/-	08
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 9300-34800	4200/-	05
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 9300-34800	4600/-	02
			कुल पदों की संख्या	15

अनुलग्नक-2

क्र0सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरक्षण में		पदों की संख्या	नियुक्ति/पदोन्नति की प्रक्रिया
		वेतन बैण्ड	**ग्रेड वेतन**		
1	2	3	4	5	6
1.	आशुलिपिक	रू0 5200-20200	2800/-	08	सीधी भर्ती । भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता- "उ0प्र0 राजकीय विभाग आशुलिपिक सवर्ग नियमावली " के प्राविधानों के अनुसार
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	रू0 9300-34800	4200/-	05	पदोन्नति की प्रक्रिया " उ0प्र0 राजकीय विभाग अशुलिपिक संवर्ग नियमावली " के प्राविधानों के अनुसार।
3.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	रू0 9300-34800	4600/-	02	पदोन्नति की प्रक्रिया " उ0प्र0 राजकीय विभाग अशुलिपिक संवर्ग नियमावली " के प्राविधानों के अनुसार।
	कुल पद			15	

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।